रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1509] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2011/श्रावण 14, 1933

No. 1509] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2011/SRAVANA 14, 1933

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2011

का.आ. 1803(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब परिनिर्धारण के उसमें निर्दिष्ट कतिपय मामलों के सत्यापन और न्यायनिर्णयन के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 169(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा रावी और ब्यास जल अधिकरण का गठन किया था और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी, 1987 को केन्द्रीय सरकार को भेज दी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिकरण को पूर्वोक्त रिपोर्ट पर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के निबंधनों के अनुसार स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए 19 अगस्त, 1987 को निदेश किए थे;

और केन्द्रीय सरकार ने उसकी आगे की रिपोर्ट को पूरा करने में उक्त अधिकरण द्वारा किए जाने वाले वृहत कार्य को ध्यान में रखते हुए उक्त रिपोर्ट देने की अवधि को समय-समय पर 5 अगस्त, 2011 तक बढ़ा दिया था;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिकरण द्वारा अंतर्वलित कार्य की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यथाउल्लिखित उक्त अवधि को 5 अगस्त, 2011 के पश्चात् और छह मास के लिए बढ़ाना आवश्यक समझती है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अवधि को जिसके भीतर अधिकरण इस प्रकार किए गए निदेशों पर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 5 फरवरी, 2012 तक भेज सकेगा, आगे और बढ़ाती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 905 (अ) तारीख 5 अगस्त, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के अंतिम पैरा में "5 अगस्त, 2011 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "5 फरवरी, 2012 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 15/3/85-आई. टी.]

ध्रुव विजय सिंह, सचिव

याद टिप्पण:—रावी और ब्यास जल अधिकरण का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का. आ. सं. 169 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्वर्ती उसमें अधिसूचना संख्यांक का.आ. 666 (अ), तारीख 10 जून, 2003 द्वारा संशोधन किया गया; और उस अवधि को जिसके भीतर अधिकरण से अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए अपेक्षा की गई थी, समय-समय पर अधिसूचना का.आ. 905(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003, का.आ. 889(अ), तारीख 5 अगस्त, 2004, का.आ. 166(अ), तारीख 4 फरवरी, 2005, का.आ. 1093(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005, का.आ. 133(अ), तारीख 3 फरवरी, 2006, का.आ. 1218(अ), तारीख 28 जुलाई, 2006, का.आ. 104(अ), तारीख 2 फरवरी, 2007,

का.आ. 1112(अ), तारीख 6 जुलाई, 2007, का.आ. 212(अ), तारीख 30 जनवरी, 2008, का.आ. 1700(अ), तारीख 16 जुलाई, 2008, का.आ. 397(अ), तारीख 4 फरवरी, 2009, का.आ. 1812(अ), तारीख 23 जुलाई, 2009, का.आ. 203(अ), तारीख 29 जनवरी, 2010, का.आ. 1920(अ), तारीख 5 अगस्त, 2010 और का.आ. 250(अ), तारीख 4 फरवरी, 2011 द्वारा बढ़ाई गई।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2011

S.O. 1803(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of Section 14 of the Inter- State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), constituted the Ravi and Beas Waters Tribunal for verification and adjudication of certain matters of the Punjab Settlement, referred therein, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources, number S.O.169(E), dated the 2nd April, 1986, and the said Tribunal forwarded its report to the Central Government on 30th January, 1987;

And whereas, further references have been made by the Central Government to the said Tribunal on 19th August, 1987, requiring explanation and guidance on the report aforesaid, in terms of sub-section (3) of Section 5 of the said Act;

And whereas, considering the enormous exercise undertaken by the said Tribunal in completing its further report, the Central Government extended from time to time the period of making the said report, till the 5th August, 2011;

And whereas, the Central Government, keeping in view the exigencies of the work involved, as pointed out by the said Tribunal, considers it necessary to extend the said period for another six months after the 5th August, 2011;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby further extends the period, within which the said Tribunal may forward its report on the references so made, to the Central Government till the 5th day of February, 2012, and for that purpose, makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources, number S.O. 905(E), dated the 5th August, 2003, namely :—

In the said notification, in the last paragraph, for the words, figures and letters "till the 5th day of August, 2011", the words, figures and letters "till the 5th day of February, 2012" shall be substituted.

[F. No. 15/3/85-I.T.]

DHRUV VIJAI SINGH, Secy.

Footnote: —The principal notification constituting the Ravi and Beas Waters Tribunal was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 169(E), dated the 2nd April, 1986 and subsequently amended *vide* number S.O. 666(E), dated the 10th June, 2003; and the period within which the Tribunal was required to forward its further report to the Central Government was extended from time to time *vide* number S.O. 905 (E), dated the 5th August, 2003, S.O. 889(E), dated the 5th August, 2004, S.O. 166(E), dated the 4th February, 2005, S.O. 1093(E), dated the 4th August, 2005, S.O. 133(E), dated the 3rd February, 2006, S.O. 1218(E), dated the 28th July, 2006, S.O. 104(E), dated the 2nd February, 2007, S.O. 1112(E), dated the 6th July, 2007, S.O. 212(E), dated the 30th January, 2008, S.O. 1700(E), dated the 16th July, 2008, S.O. 397(E), dated the 4th February, 2009, S.O. 1812(E), dated the 23rd July, 2009, S.O. 203(E), dated the 29th January, 2010, S.O. 1920(E), dated the 5th August, 2010 and S.O. 250(E), dated the 4th February, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.